भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2801

जिसका उत्तर 20 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है ।

29 अग्रहायण, 1945 (शक)

सोशल मीडिया पर अश्लीलता

2801. श्री डी.एम. कथीर आनन्द:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सोशल मीडिया नेटवर्कों पर अश्लीलता और अशिष्टता के प्रचलन और अत्यधिक प्रयोग को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा सोशल मीडिया नेटवर्कों पर वेब-श्रृंखला के नाम पर अश्लीलता और अशिष्टता के प्रचलन पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए क्या कड़े कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार की इस संबंध में मूल अधिनियम में संशोधन करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (घ):सरकारकीनीतियोंकाउद्देश्ययहसुनिश्चितकरनाहैकिभारतमेंइंटरनेटखुला, सुरक्षितऔरविश्वसनीयहोतथाहमारेसभीप्रयोक्ताओंकेप्रतिजवाबदेहहो।

इंटरनेटप्रौद्योगिकीऔरइंटरनेटकोअच्छेकेलिएबलकेरूपमेंदेखाजाताथा, लेकिनहालकेवर्षोंमें, उपयोगकर्ताकोनुकसानपहुंचानेऔरआपराधिकतापैदाकरनेकेलिएप्रौद्योगिकीकाभीदुरूपयोगकियाजाताहै। भारतमेंइंटरनेटउपयोगकर्ताओंकीसंख्याआज 85 करोड़ है , जो भारतको वैश्विकइंटरनेटपरसबसे बड़े कनेक्टेडलोकतंत्रमें से एक बनाता है । सरकारप्रौद्योगिकियोंका लाभ उठानेकेलिएपूरीतरहसेप्रतिबद्धहैलेकिनइसके हानि, जोखिमऔरअपराधोंकीबढ़तीदरसेभी अवगतहै। सरकारयहसुनिश्चितकरनेकाइरादारखतीहैकिइंटरनेटसामान्यरूपसेसुरक्षितहोऔरइसपरजानकारीसुरक्षितऔ रविश्वसनीयहोऔरबुरेतत्वोंसेनिपटनेकेलिएनिरंतरआधारपरउपयुक्तकदमउठाती है।

यहसुनिश्चितकरनेकेलिएकिसोशलमीडियाप्लेटफॉर्मसहितमध्यस्थहमेशाउपयोगकर्ताओंकीसुरक्षाऔरविश्वास केप्रतिजवाबदेहहैं, सरकारनेसंबंधितहितधारकोंकेसाथव्यापकसार्वजनिकपरामर्शकेबादसूचनाप्रौद्योगिकी (मध्यवर्तीदिशानिर्देशऔरडिजिटलमीडियाआचारसंहिता) नियमावली , 2021 ("आईटीनियम, 2021") कोदिनांक 25.02.2021 कोअधिसूचितकियाहैऔरबादमेंइसे सूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम, 2000 ("आईटीअधिनियम")केतहत 28.10.2022 और 6.4.2023 कोसंशोधितकियाहै।

आईटीनियमावली, 2021 मेंअन्यबातोंकेअलावानिम्नलिखितकानूनीदायित्वोंकोशामिलकियागयाहै:

i. आईटीनियमावली, 2021 केनियम 3 (1) (ख) सोशलमीडियाप्लेटफॉर्मसहितमध्यस्थप्लेटफॉर्मपरउपलब्धभारतीयइंटरनेटपरग्यारहप्रकार कीसामग्रीकोप्रतिबंधितकरताहै।

ii. प्लेटफ़ॉर्मकोयहसुनिश्चितकरनेकीआवश्यकताहैकिउनकेउपयोगकर्तानियम 3 (1) (ख) औरअन्यकानूनोंकाउल्लंघनकरनेवालीसामग्रीकोसाझाकरनेयाप्रसारितकरनेकेलिएअपनेप्लेटफ़ॉर्म काउपयोग न करेंऔरउनकेउपयोगकीशर्तेंकानूनकेतहतग्यारहप्रकारकीसामग्रीकेउपयोगकोस्पष्टरूपसेप्रतिबंधितक रतीहैं।

iii. आईटीनियमावली, 2021 केनियम 3 (1) (ख) (ii) मेंऐसीकिसीभीजानकारीकोप्रतिबंधितकियागयाहैजोअश्लील, पोर्नोग्राफ़िक, पीडोफिलिक, शारीरिकगोपनीयतासहितकिसीअन्यकीगोपनीयताकेखिलाफहै।

iv. आईटीनियमावली, 2021 केनियम 3 (1) (ख) (v) और (vi) भारतीयइंटरनेटपरगलतसूचनाऔरस्पष्टरूपसेझूठीजानकारीयाकिसीअन्यव्यक्तिकाप्रतिरूपण करने वाली जानकारीकोप्रतिबंधितकरतेहैं ।डीपफेकएआई द्वारासंचालितगलतसूचनाकाएकऔररूपहै।

v. आईटीनियमावली , 2021 केनियम 3 (1) (घ) मेंप्लेटफार्मोंकोआईटीनियम, 2021 केतहतनिर्धारितसमयसीमाकेभीतरउपयुक्तसरकारयाउसकीअधिकृतएजेंसीसेअदालतकेआदेशयाअ धिसूचनाप्राप्तहोनेपरयाइससंबंधमेंउसकेद्वाराअधिकृतव्यक्तियाव्यक्तिद्वाराकीगईशिकायतपरआईटी नियम, 2021 केउपरोक्तप्रावधानोंका उल्लंघन करने वाली सूचना/सूचना सामग्री तकपहुंचकोहटानेयाअक्षमकरनेकेलिएअधिदेशितकियागयाहै ।

vi. आईटी नियमावली, 2021 के नियम 4(2) में यह निर्धारित किया गया है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, या सार्वजनिक व्यवस्था, या उपरोक्त से संबंधित अपराध के लिए उकसाना या बलात्कार, स्पष्ट यौन सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) के संबंध मेंसंबंधित जानकारी के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करके रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन या सजा के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ सहयोग करेंगे।

आईटी नियमावली, 2021 विशिष्ट कानूनी दायित्व निर्धारित करता है और सोशल मीडिया मध्यस्थों या प्लेटफार्मों सहित मध्यस्थों पर जवाबदेही डालता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके प्लेटफार्म सुरक्षित और विश्वसनीय हों और उनपर नियम 3(1) का उल्लंघन करने वाली कोई भी सामग्री न हो जिसमें प्रतिबंधित बेहुदापन, अश्लीलता, गलत सूचना, स्पष्ट रूप से गलत जानकारी और डीपफेक को हटाने की दिशा में उनकी त्वरित कार्रवाई शामिल है।चूंकिसोशलमीडियासहितसभीमध्यस्थप्लेटफार्मोंपरजवाबदेहीस्पष्टरूपसेडाली गईहैऔरयदिकोईमध्यस्थआईटीनियम, 2021 काउल्लंघनकरताहै, तोवेसूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम, 2000 ("आईटीअधिनियम") कीधारा 79 केतहतअपनीसेफ़ हार्बर सुरक्षाखोदेंगेऔरआईटीअधिनियमऔरभारतीयदंडसंहितासहितकिसीभीकानूनकेतहतप्रदानकीगईपरिणामी कार्रवाईयाअभियोजनकेलिएउत्तरदायीहोंगे।

सरकारडिजिटलइंडियासंवाद (डीआईडी) केमाध्यमसेसार्वजनिकपरामर्शकाउपयोगसमय-समयपरविभिन्नविचारोंकापतालगानेकेलिएडिजिटलइकोसिस्टम
केसभीहितधारकोंकेसाथजुड़नेकेएकमहत्वपूर्णतरीकेकेरूपमेंकरतीहै।
हरकानूनऔरहरनियमकोसार्वजनिकपरामर्शकेसाथविकसितकियागयाहै।

सरकारनेआईटीनियम, 2021
केतहतशिकायतअपीलीयसमितियोंकीभीस्थापनाकीहैताकिउपयोगकर्ताओंऔरपीड़ितोंकोमध्यस्थोंकेशिकायत अधिकारियोंद्वारालिएगएनिर्णयोंकेखिलाफ www.gac.gov.in
परऑनलाइनअपीलकरनेकीअनुमतिमिलसके, यदिवेअश्लीलता, अश्लीलता,
गलतसूचनाऔरडीपफेकसहितकानूनीउल्लंघनोंकेमामलेमेंशिकायतअधिकारीकेनिर्णयसेअसंतुष्टहैंयाजहांआई टीनियम, 2021
केतहतनिर्धारितसमयसीमाकेभीतरशिकायतअधिकारीउपयोगकर्ताओंयापीड़ितोंयाकिसीव्यक्तियाउनकीओर सेकिसीभी व्यक्तिसेशिकायतोंकानिवारणकरनेमेंविफलरहतेहैं। ।

इसकेअलावा,
गृहमंत्रालयनागरिकोंकोसभीप्रकारकेसाइबरअपराधोंसेसंबंधितशिकायतोंकीरिपोर्टकरनेमेंसक्षमबनानेकेलिए एकराष्ट्रीयसाइबरअपराधरिपोर्टिंगपोर्टल (www.cybercrime.gov.in) संचालितकरताहै, औरएकटोल-फ्रीहेल्पलाइन (1930) भीसंचालितकरताहै।

आगे बताया गया है कि आईटी अधिनियम की धारा 67, 67क और 67खक्रमशः ऐसी सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंडित करती हैं जो अश्लील है, जिसमें यौन रूप से स्पष्ट कार्य आदि शामिल हैं, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कार्य में चित्रित करना आदि शामिल हैं।धारा 67 केतहतकोईभीअपराधपहलीबारदोषीपाएजानेपरतीनसालतककीकैदऔरपांचलाखरुपयेतककेजुर्मानेऔरबाद मेंदोषीपाएजानेपरपांचसालतककीकैदऔरदसलाखरुपयेतककेजुर्मानेकेसाथदंडनीयअपराधहै, जबकिधारा 67 क और 67 ख केतहतअपराधोंकेलिएपहली बार दोषीपाएजानेपरपांचसालतककीकैदऔरदसलाखरुपयेतककाजुर्मानाऔरबादमेंदोषीपाएजानेपरऔर सातसालकीकैद और दसलाखरुपयेतकजुर्मानालगायाजासकताहैऔरयह संज्ञेयअपराधहैं।

इसकेअलावा, सरकारसूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम, 2000 कीधारा 69क केअंतर्गतअपनेविधिसम्मतअधिकारोंकाप्रयोगकरतेहुएमंचकोसमय-समयपरकिसीभीराष्ट्र-विरोधीसामग्रीअथवाराष्ट्रीयसुरक्षाकाउल्लंघनकरनेवालीकिसीभीविषय-वस्तुकोहटानेकानिदेशदेतीहै।

सभीउपयोगकर्ताओंकेलिएएकखुला,
सुरक्षितऔरविश्वसनीयऔरजवाबदेहइंटरनेटसुनिश्चितकरनेकेउद्देश्यकोप्राप्तकरनेमेंमददकरनेकेलिए, इलेक्ट्रॉनिकी
औरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालयमौजूदाकानूनमेंआवश्यकपरिवर्तनोंऔरनएकानूनकोपेशकरनेकीआवश्यकताकेसंबंधमेंजनताऔरहितधारकोंकेसाथजुड़ताहैऔरइनपुटप्राप्तकरताहै।

****